दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 58 ❑ अंक-8 ❑ दिल्ली ❑ फरवरी 2020 (द्वितीय) ❑ मूल्य : 2 रु.

डा. अम्बेडकर और उनका युग

कंवल भारती

16 जनवरी, 1915 पुलिस डायरी, विशेष शाखा 1913 के पैराग्राफ 1103 की टिप्पणी है–'सेंसर' लिखता है कि शिक्षा मंत्रालय, बड़ौदा से निम्नलिखित पत्र डी.ओ. संख्या 509 दिनांक 8 जनवरी, 1915 बी.आर. अम्बेडकर, बी.ए. 554 वेस्ट 114, स्ट्रीट, न्यूयार्क के लिये प्राप्त हुआ है–

''उनको सूचित कीजिए कि हिज हाइनेस महाराजा साहब को स्वीकृत सहायता की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिये जाएंगे और परिणाम से अवगत करा दिया जाएगा।''

पैराग्राफ 35, बड़ौदा, 25 जनवरी–सहायक रेजीमेंट लिखता है, भीमराव अम्बेडकर बम्बई के निवासी हैं, जिन्हें गायकवाड़ द्वारा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन के लिये अमरीका भेजा गया है। बड़ौदा सर्विस लिस्ट में उनका नाम मिलिटरी प्रोबेशनर के रूप में दर्ज है, पर उन्होंने कोई मिलिटरी ट्रेनिंग नहीं की है और स्पष्ट रूप से उन्हें वेतन के वास्ते नियुक्त किया गया है। उन्हें जून 1913 में अमरीका भेजा गया था और विश्वास किया जाता है कि वह अभी नहीं हैं।

पैराग्राफ 81, बम्बई, 8 फरवरी– भीमराव रामजी अम्बेडकर महार जाति के हैं। उनका मूल निवास आम्बेड तालुका दापोली जनपद रत्नागिरी है। वह बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, जहां उन्होंने बी.ए. की परीक्षा एलफिंस्टन कालेज से उत्तीर्ण की है। इसके बाद वह बड़ौदा राज्य की सेवा में आये और 1913 में उन्हें अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिये बड़ौदा राज्य की ओर से अमरीका भेजा गया था। वह बम्बई में 15 जून 1913 को जहाज से रवाना हुए थे। मालूम हुआ है कि अम्बेडकर ने अमरीका में दो वर्षों तक और रहने के लिये अनुमति मांगी है, जिसमें वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

प्रधान पुलिस कार्यालय, बम्बई का 14 दिसम्बर, 1920 का यह पत्र वि.शा. सं. 09378/191/ एम/513, जो सी.एन. सिडोन, कौंसिल सदस्य बम्बई को भेजा गया–'व्यक्ति का पूरा नाम मि. भीमराव रामजी अम्बेडकर है। वह वकालत की पढ़ाई करने और लन्दन विश्वविद्यालय से अपना एम.एस. सी. की डिग्री लेने के लिये पिछली 5 जुलाई को इंग्लैण्ड गये थे। उनका वर्तमान पता यह है–96, ब्रूक ग्रीन, हामरस्मिथ, लन्दन। वह अगले दो वर्षों तक भारत लौटने वाले नहीं हैं।

पुलिस आयुक्त बम्बई मि. एफ. सी. ग्रिफ्थ को प्रेषित गवर्नमेंट हाउस, बम्बई का यह 1 अप्रैल 1920 का पत्र–'मैं आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा के आनरेरी सचिव का पत्र संलग्न कर रहा हूं और यह जानना चाहता हूं कि यह सभा क्या है और क्या इसके शिष्ट मंडल को हिज एक्सीलेंसी (गर्वनर) से मिलवाया जाये?

मि. ग्रिफ्थ ने पत्रांक ओ. 2736/पी/131 दिनांक 14 अप्रैल 1920 को यह जवाब दिया–गत फरवरी में अकोला जनपद के केलावली के निवासी एक महार पांडुरंग नन्दराम भटकर ने अपने लोगों की भलाई के लिये 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' का आरम्भ किया था। इसके अध्यक्ष कोई रामचन्द्र कृष्ण जी कदम हैं, जो पूना के हैं और वह भी महार हैं। इसके सदस्यों की संख्या 200–300 तक है और सालाना चन्दा चार आने से एक रुपया तक है। इसका कार्यालय पोय बावड़ी, परेल में हरारवाला बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में है। इसी कमरे में पांडुरंग नटकर अपने पाक्षिक पत्र 'मूक नायक' का प्रकाशन करते हैं। 'सभा' छोटी सी संस्था है, अर्थात् इसका कोई असर नहीं है, परन्तु चूंकि प्रस्तावित शिष्ट मंडल का नेतृत्व कोल्हापुर के महाराज करने वाले हैं, इसलिए हिज एक्सीलेंस से मिलवाने के लिये यह महत्व ही पर्याप्त है।

डी. रामराव, सब–इंस्पेक्टर, महुली का अमरावती से पुलिस आयुक्त, बम्बई के नाम पर पत्र दिसम्बर 1925–'मुझे यह रिपोर्ट करनी है कि पूना के एक महार रामजी सखाराम गायकवाड़ ने जो बम्बई में स्थापित महार एसोसिएशन के सदस्य हैं, मेरे क्षेत्र के प्रत्येक गांव और प्रत्येक महार से दो–तीन

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सम्पादकीय

दलित मुक्ति के लिए गुरू रविदास जी का अमर सन्देश

संत शिरोमणि गुरु रविवास जी का जन्म आज से 643 वर्ष पूर्व पंडित, पांडे, ब्राह्मणों के गढ़ काशी (वाराणसी) में एक चर्मकार के घर माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। इस विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है–

चौदह सौ तैंतीस की
माघ सुदी पंदरास।
दुनियों के कल्याण हित,
प्रगटे श्री रविदास।।

यह वह समय था जब समाज में छुआछूत, जात–पांत, भेदभाव, ऊंच–नीच, अंधविश्वास चरम सीमा पर था। शूद्र जाति के लोगों को तो जानवरों से भी नीचे मानकर ब्राह्मणवादी लोग उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार और बर्बरता बरतते हुए उन्हें समता के सभी मानवीय अधिकारों से वंचित किया हुआ था।

भगवत भजन का एकाधिकार ब्राह्मणों का था, और ब्राह्मण को मनु व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च मानकर सत्ता के शिखर पर बैठे राजा–महाराजा धर्मान्धता के कारण उन्हें पूरा सम्मान देते हुए उनके हर गलत कार्य को भी सही मानते हुए उन्हें पूरा सम्मान देते थे। समाज में अछूतों की तरह महिलाओं को भी बराबर सम्मान प्राप्त नहीं था। उन्हें भी पैरो की जूती मानते हुए उनके साथ खुला दुर्व्यवहार किया जाता था। पति की मृत्यु के साथ उसे भी सती होने के लिए बाध्य किया जाता था।

ऐसे मध्यकालीन भारत में संत शिरोमणि गुरु रविदास ने जन्म लेकर सामाजिक असंतुलन को संतुलित किया, अशांत ह्रदयों को अपनी वाणी से शांत किया, निराश मनों को आशा की नई किरण दिखाई, अंध विश्वास एवं भ्रमों का प्रमाणित तर्कों से पर्दाफांस किया। धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करके पूजा का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऊंच–नीच की दीवारों को गिराकर सभी को एकता का पाठ पढ़ाया और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया।

गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों के गढ़ काशी में वर्ण व्यवस्था का विरोध डंके की चोट करते हुए खुले शब्दों में कहा–

जात–पांत पूछे न कोई,
हरि को भेजे सो हरि का होई।

उन्होंने मन की शुद्धता पर जोर देते हुए कहा–

जिसका मन चंगा,
उसकी खटोटी में गंगा।

गुरु जी ने जात–पांत पर चोट करते हुए कहा–

जात–जात में जात है
ज्यों केलन में पात।
'रविदास' न मानुष जुड़ सकै,
जौ लौं जात न जात।।

उन्होंने मनुष्य के गुणों को महत्ता देते हुए कहा–

रविदास ब्राह्मण ना पूजिये,
जऊ होवे गुनहीन।
पूजिहि चरन चंडाल के,
जऊ होवै गुन परवीन।।

गुरु रविदास जी ने देवी–देवता, मूर्तिपूजा, पूजा–पाठ, धार्मिक आडम्बर का पर्दाफांस करते हुए कहा कि मन ही मंदिर है जहां से सच्ची सुख शांति प्राप्त हो सकती है–

मन ही पूजा, मन ही धूप।
मन ही सेवू सहज सरूप।।

गुरु रविदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के लिए बाहरी कर्मकांडों व पूजा पाठों का खंडन करते हुए कहा कि सच्चे मन से प्रभु को

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य—दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म—गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

रुपया चन्दा एकत्र किया है। मि. अम्बेडकर, बार–एट–ला इसके अध्यक्ष और रामचन्द्र कृष्ण जी, भाऊराव गायकवाड़ सदस्य बताये जाते हैं। इन तीनों महारों ने बिरार के महारों से भी चन्दा लेने का प्रचार किया है और प्राप्त धन को मनीआर्डर से अध्यक्ष को भेजा गया है। मि. अम्बेडकर पोईबावड़ी में, नरहर मैत्याली बिल्डिंग के निकट घोरप प्रिटिंग प्रेस के भवन में रहते हैं। उनका मकसद कानूनी रूप से महारों के बलूता हकों से छुटकारा दिलाना है और बताया जाता है कि यह एसोसिएशन बम्बई हाईकोर्ट से मुकदमा भी जीत गयी है। इसलिये अब वे बिरार के महारों के लिये कोशिश कर रहे हैं। चूंकि रामजी सखाराम के अपने अध्यक्ष का लिखित प्रमाण नहीं है और न ही उगाहे गये चन्दे का कोई हिसाब है और चूंकि यह चन्दे की धनराशि को ही शराबखोरी में खर्च कर चुके हैं, इसलिये उन्हें धारा 54/420 (आई.वी.सी.) के तहत 24 नवम्बर 1925 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 1 दिसम्बर 1925 तक रिमांड पर जेल कस्टडी में हैं।'

प्रधान पुलिस कार्यालय, बम्बई, 9 मार्च 1926 को पत्र संख्या एच/3447 गर्वनर के निजी सचिव

पृष्ठ 1 का शेष....डा. अम्बेडकर और उनका युग

के उत्थान के लिये बनी संस्था 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की वार्षिक आम सभा इसी 18 अप्रैल को उसके मुख्यालय दामोदर ठाकरसे हाल, परेल, बम्बई में हुई। वर्ष 1925 की रिपोर्ट में बताया गया है कि सभा का कार्य तीन क्षेत्रों में है। दलित वर्गों की शिक्षा के मामले में शोलापुर के निकट एक हास्टल चला रही है, जिसमें दलित वर्गों के पन्द्रह छात्र सेकेण्ड्री की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस पर कुल खर्च रु. 2,669–0–8 है। हास्टल में आवासीय सुविधा निःशुल्क है। सभा अपने पहले साल में दलित वर्गों के सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिये कुछ खास नहीं कर सकी। फिर भी, सभा ने 'वतनदारी' मामले में नासिक जनपद के गांवों में महारों की अनेक कष्टों के निवारण में सहायता की है। बीते वर्ष की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार सभा की कुल आय रु. 3,169–1–0 और व्यय रु. 2,938–13–6 है।

''सभा ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल, बाइकुल्ला में दलित वर्गों के लिये एक पुस्तकालय और वाचनालय खोला है। उसने परेल में दलित के दो बक्सों में रखी हुई हैं।

''सोशल सर्विस लीग' ने दो सौ पुस्तकें दी हैं, जो दो स्टील बक्सों में रखी हैं। प्रत्येक बक्से में सौ पुस्तकें हैं। पुस्तकालय की ज्यादातर किताबें सामाजिक और धार्मिक हैं, परन्तु कुछ किताबें मराठी में 'स्वराज' पर भी हैं। दलित वर्गों के दस–बारह सदस्य औसतन रोज पुस्तकालय आते हैं। हालांकि यह सबके लिये खुला है, पर यह दलित बस्ती होने के कारण यहां दूसरे वर्गों के लोग आमतौर से नहीं आते हैं। वैसे, यदि कोई बाहरी व्यक्ति पुस्तकालय के कमरे में आना भी चाहेगा, तो उसे यह पता ही नहीं चल पायेगा कि इस कमरे का पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जब तक कि उसे ऐसा बताया न जाये।

''कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं चल रहा है। एक छात्र एक लघु पत्र लिखता है और फिर उसे दूसरे छात्रों को लिखने के लिये वितरित कर देता है।

''बहिष्कृत हितकारिणी सभा' का पंजीयन। अप्रैल 1926 को हुआ।''–डी.सी.पी. स्पेशल ब्रांच।

महाड़ में सत्याग्रह

बाद महाड़ में होगी और उसी में अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

''एक अन्य प्रस्ताव यह पारित किया गया है कि दलित वर्गों के कष्टों के निवारण के लिये सरकार एक पृथक विभाग कायम करे, जैसा कि मद्रास में किया गया है।

''वक्ताओं द्वारा चन्दा देने की अपील की गयी और लगभग तीन सौ पचास रुपये का चन्दा इकट्ठा हुआ। एक दर्जन लोगों ने भावी सत्याग्रह के लिये स्वयंसेवक बनने का इरादा किया है।'' (बाम्बे सीक्रेट एवस्ट्रेक्ट, 16 जुलाई, 1927)

खुलासा

ऊपर दी गयी टिप्पणियों और आख्याओं की रोशनी में डा. अम्बेडकर के समय को समझा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है कि इस मसीहा ने किन परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। महाराजा बड़ौदा की आर्थिक सहायता से जिन परिस्थितियों में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, उनसे पता चलता है कि उनका शिक्षा अर्जन करना एक प्राप्त नहीं हो सकी।

उपर्युक्त साक्ष्य बताते हैं कि डा. अम्बेडकर अपने छात्र जीवन में भी दलित हितों के लिये सक्रिय थे। वह दलितों के दुखों से न सिर्फ भलीभांति परिचित थे, अपितु उनके मुक्ति के लिये चिन्तित भी थे। शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा था और दलितों में शिक्षा के विकास के लिये छात्र जीवन में ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाकर छात्रावास और उन जैसा असाधारण व्यक्तित्व ही कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, जब वायसराय बम्बई पधारे, तो महाराजा कोल्हापुर के नेतृत्व में उन्होंने उनका स्वागत किया और दलितों के दुखों को उनके समक्ष रखा। इससे हम समझ सकते हैं कि डा. अम्बेडकर ने दलित व्यक्ति की लड़ाई कितनी गम्भीरता से लड़ी थी।

देश का वातावरण दलित मुक्ति के पक्ष में नहीं था। यद्यपि अंग्रेजी राज था, जिसने दलितों की शिक्षा के लिये क्रांतिकारी काम किया था, परन्तु शासक वर्ग जो सवर्ण हिन्दू थे, दलितों का उत्थान नहीं चाहता था। ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग ऐसे किसी भी सुधार का कटु आलोचक था, जो दलितों के पक्ष में जाता था। इस विरोध में

जे.सी. केर को भेजता है। यह डा. अम्बेडकर के 28 फरवरी, 1926 के पत्र संख्या एफ. 5 XXVI/एम. एस. के सन्दर्भ में हैं, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के चेयरमैन की हैसियत से गवर्नर के निजी सचिव को भेजा गया था कि सभा 2 अप्रैल 1926 को वायसराय के बम्बई आगमन पर उनका स्वागत करना चाहती है। पुलिस कार्यालय के पत्र में यह रिपोर्ट है–'मुझे यह सूचित करना है कि वर्तमान बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसी नाम से पूर्व में बनी संस्था का पुनरोद्धार है, जिसने 1920 में हिज एक्सीलेंसी गवर्नर से मुलाकात की थी। इसका पुनरोद्धार जुलाई 1924 से हुआ, जब डा. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुए, जो इसके असाधारण सदस्य हैं। सभा अभी ढीली–ढाली हैं और इसका कोई नियमित सदस्य नहीं है। इसका सामान्य उद्देश्य के महारों ढेड़ों और चमारों का उत्थान करना है। सभा का कोई राजनैतिक मकसद नहीं है। इसलिये मैं सोचता हूं कि वायसराय के सम्मान में सभा को सम्बोधन प्रस्तुत करने दिया जाये।–भवदीय, पी.ए. केली।

इस चर्चित 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' के बारे में बम्बई के अंग्रेजी अखबार 'दि बाम्बे क्रॉनिकल' ने अपने 29 अप्रैल 1926 के अंक में यह लिखा–'दलित वर्गों के युवाओं के लिये एक हाकी क्लब का भी गठन किया है। एक महत्वपूर्ण संगठन उसने दलित विद्यार्थियों का 'बहिष्कृत विद्यार्थी सम्मेलन' नाम से भी किया है। यह एक तरह से दलित विद्यार्थियों में भाईचारा कायम करता है। एक मासिक पत्रिका 'विद्या विलास' भी निकाली जा रही है, जिसमें दलित विद्यार्थियों की रचनाएं छपती हैं। आर्थिक क्षेत्र में सभा दलित वर्गों के लिये तीन सहकारी ऋण समितियां चलाती हैं। वर्ष 1926 के लिये कार्यक्रम का खर्च 25 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।''

पुस्तकालय के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पुलिस विभाग के द्वारा यह भेजी गयी–''पुस्तकालय क्लार्क रोड पर चार महीने पहले खोला गया है। यह बाम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल के द्वितीय तल पर एक छोटे से कमरे में है, जिसका किराया सात रुपये तीन आना है। यह बहुत ही गन्दा कमरा है, जिसमें टूटी हुई बेंच, एक टूटी हुई आलमारी, जिसमें कोई किताब नहीं है, एक मेज और एक कुर्सी है। मेज पर कुछ पुराने अखबार फटे हुए हालत में थे। उनके पास लगभग 64 किताबें हैं, जो अधिकतर मराठी की हैं। कुछ किताबें सदस्यों को जारी की गयी हैं और बाकी 'सोशल सर्विस लीग'

3 जुलाई 1927 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की महाड़ में जनसभा हुई, जो अत्याचारों के विरुद्ध बम्बई के अछूतों का एक प्रदर्शन था। पुलिस की विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट प्रेषित की–(प्रस्तर 571, 4 जुलाई) ''बहिष्कृत हितकारिणी सभा' के तत्वावधान में 3 जुलाई की शाम को दलित वर्गों की एक सभा कोवासजी जहांगीर हाल में हुई। इस सभा का मकसद कोलाना जनपद में महाड़ के अछूतों पर किये जाने वाले जुल्मों का विरोध करना था। इस सभा की अध्यक्षता, जिसमें लगभग एक हजार लोग उपस्थित थे, डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर, बार–एट–लॉ ने की थी।

''जिन लोगों ने सभा में भाषण दिये, उनमें अध्यक्ष के अतिरिक्त रोगाबा नारायण वनमाली, महादेव अनाजी कामली, सीताराम नामदेव शिवतारकर, निर्मल लिम्बाजी गंगावणे, गीतानन्द ब्रह्मचारी ओर सामन्त नानजी मारवाड़ी थे। इन सभी ने महाड़ के उनके भाईयों पर सवर्ण जातियों के अत्याचारों की भर्त्सना की। उन्होंने इस उत्पीड़न के विरुद्ध एक शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करने के वास्ते स्वयंसेवकों की भर्ती करने और धन एकत्र करने का निश्चय किया है। उनकी पहली कांफ्रेंस दीवाली की छुट्टियों के असामान्य घटना थी। यह तत्कालीन दलित शिक्षा के भयानक सच को भी हमारे सामने रखता है।

उपर्युक्त साक्ष्य महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 'सोर्स मेटरियल आन डा. बाबा साहब अम्बेडकर एण्ड दि मूवमेंट आफ अनटचेबुल्स' खण्ड–एक में दर्ज है। यह ग्रंथ एक दर्पण है, जिसमें हम डा. अम्बेडकर के युग को काफी हद तक देख सकते हैं। यह ग्रंथ उन टिप्पणियों, समाचारों और लेखों का संग्रह है, जो तत्कालीन समाचार पत्रों तथा पुलिस रिकार्ड में मिलते हैं। फिर भी, ये सम्पूर्ण साक्ष्य नहीं हैं, इनमें काफी कुछ मौजूद नहीं है और काफी कुछ दलित आन्दोलन के विरुद्ध वातावरण बनाता है, जिसने डा. अम्बेडकर के समक्ष समस्याएं पैदा की थीं। जिस 3 जुलाई 1927 के महाड़ सत्याग्रह का विवरण इस ग्रन्थ से ऊपर दिया गया है, उसकी तैयारियां 1920 में ही हो गयी थीं और दलितों का महाड़ में पहला सम्मेलन 19 मार्च 1927 को हुआ था और दूसरे दिन 20 मार्च को अछूतों ने चावदार तालाब पर पहुंच कर वहां पहली बार पानी पिया था। 'सोर्स मेटेरियल...' ग्रंथ में इन दोनों घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं है। सम्भवतः सम्पादकों को इन घटनाओं से संबंधित सामग्री अखबारों की भूमिका भी प्रबल थी। वे डा. अम्बेडकर के हर कदम की आलोचना करते थे और हिन्दुओं के स्वर में मिलाकर दलित आन्दोलन के खिलाफ देश व्यापी माहौल बनाते थे। एक अटल और गम्भीर योद्धा के रूप में डा. अम्बेडकर ने इस सभी ताकतों से टक्कर ली और उन्हें परास्त किया।

डा. अम्बेडकर के विरुद्ध कांग्रेस और हिन्दू नेता जी प्रचार करते थे, अखबार उसका समर्थन करते थे। जब डा. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन, लन्दन में दलितों का प्रतिनिधित्व के रूप में आमंत्रित किये गये, तो हिन्दू नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में 'नो कान्फीडेन्स इन अम्बेडकर' (अम्बेडकर में विश्वास नहीं) के तार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भिजवाये। ये तार अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किये गये। बाम्बे कॉनिकल के 12 अक्टूबर 1931 के अंक में यह समाचार छपा–

''डा. अम्बेडकर का खण्डन। दलित वर्गों के लोग पृथक निर्वाचन के विरुद्ध। प्रधानमंत्री को अविश्वास का तार। नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। श्रद्धानन्द मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली की ओर से मि. गांधी और अल्पसंख्यक उप–समिति के अध्यक्ष मि. मैक डोनाल्ड को तार भेजा गया कि दलित वर्गों के लोग पृथक

पृष्ठ 1 का शेष....डा. अम्बेडकर और उनका युग

निर्वाचन नहीं चाहते हैं। वे व्यस्क मताधिकार से पूरी तरह सन्तुष्ट हैं। अम्बेडकर में उनका कोई विश्वास नहीं है।'' (ए.पी.)

इस अखबार ने लगातार ऐसी खबरें छापीं। यहां तक कि ''सम्पादक के नाम पत्र'' स्तम्भ में भी उसने 'अम्बेडकर में विश्वास' के पत्र छापे। एक लम्बा पत्र उसके 14 अक्टूबर 1931 के अंक में किसी 'डिसगस्टेड एण्ड डिसट्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास' नाम की संस्था का छपा, जिसमें यह कहा गया–

''जिन डा. अम्बेडकर को उनकी विधि–कक्षा के विद्यार्थियों ने राजनैतिक भिक्षावृत्ति का प्रोफेसर कहा है, उन्हें अब गांधी–फोबिया भी हो गया है। वह अपने आपको तथाकथित दलितों वर्गों का प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं, जबकि उन्हें इंग्लैण्ड जाने से पूर्व एक सभा में सुना तक नहीं जा सका। दलितों की उस सभा में उन्हें अभद्रतापूर्वक वापस जाने को कहा गया।''

आगे इस पत्र में महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए निर्वाचन प्रणाली में उनके दृष्टिकोण को समर्थन किया गया है और अन्त की पंक्तियां ये हैं–''ईश्वर डा. अम्बेडकर जैसे डा. अम्बेडकर नाम के आदमी का अस्तित्व है?'' आगे की पंक्तियों में कहा गया है–''महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन ही अपना धर्म बना लिया है। उस व्यक्ति की निष्ठा पर सन्देह करना और गांधी जी जो गाली देना सूरज पर थूकने के समान है। इससे डा. अम्बेडकर ने अपने आपको सम्पूर्ण विश्व में हास्यास्पद बना लिया है।''

पुनः 21 अक्टूबर 1931 के अंक में बाम्बे क्रानिकल ने 'वी हैव फुल फेथ इन महात्मा' शीर्षक से एम लम्बी 'समाचार कथा' छापी, जिसमें कहा गया कि डा. सखाराम बुवा की अध्यक्षता में बम्बई के दलितों ने सभा की और महात्मा गांधी में पूर्ण आस्था व्यक्त की। इस समाचार में दलित नेताओं के भाषणों के हवाले से कहा गया है कि डा. अम्बेडकर का पृथक निर्वाचन पर आग्रह राष्ट्र विरोधी है, जिससे वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को प्रसन्न करना चाहते हैं।''

इस तरह देश भर में डा. अम्बेडकर के विरुद्ध वातावरण पैदा किया गया। यह विरोध–प्रचार स्पष्ट रूप से कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस के दलित नेता इस यह भी गौर नहीं किया कि वह अपर्याप्त है। इस पर डा. अम्बेडकर का कहना था कि जगजीवन राम द्वारा सरकार में शामिल होने का निर्णय, जबकि कांग्रेस प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिये सहमत नहीं हुई है, यह दर्शाता है कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों का पक्ष लेने के लिये उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?

ये तमाम परिस्थितियां डा. अम्बेडकर के जबरदस्त संघर्ष को दर्शाती हैं। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने उनके आन्दोलन को कुचलने के लिये ऐसा कोई प्रयास नहीं था, जो न किया हो। उनके द्वारा यह प्रचार भी किया गया था कि कांग्रेस ही दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं है बल्कि गांधी जी ही दलितों के वास्तविक नेता हैं। उन्होंने यह प्रचार भी किया था कि डा. अम्बेडकर अंग्रेज भक्त हैं और वह देश को आजाद कराना नहीं चाहते हैं। डा. अम्बेडकर ने इस मिथ्या प्रचार का जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने वस्तुस्थिति से परिचय कराने के लिये न सिर्फ 'कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया'' इस दावे का खण्डन किया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर यदि एक बार स्वतंत्र सरकार स्थापित हो गयी, तो समस्त मानवीय बुराइयां दूर हो जायेंगी। इस सभा की रिपोर्ट 23 सितम्बर, 1944 के 'बाम्बे क्रानिकल' में छपी थी। उस सभा में डा. अम्बेडकर ने, जो वायसराय कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य थे, जोर देकर कहा था कि यदि हमारे पास एक ऐसा शासक वर्ग है, जो श्रेणीकृत असमानता में विश्वास करता है और सिर्फ वही वर्ग शिक्षा का अधिकारी है और यदि सत्ता इसी शासक वर्ग के हाथों में आ जाती है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वह सरकार वर्तमान ब्रिटिश सरकार से ज्यादा अच्छा कार्य करेगी?

डा. अम्बेडकर का युग यद्यपि अंग्रेजी राज का युग था, किन्तु घोर ब्राह्मणवादी और सामन्तवादी था। उसमें जानवरों से भी बदतर स्थिति में अछूत, आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लोग थे, जिनके लिये यह कल्पना भी निरर्थक थी कि वे स्वाधीनता का उपयोग कर सकेंगे। डा. अम्बेडकर का नेतृत्व और संघर्ष इन स्थितियों के विरुद्ध नये समाज के निर्माण के लिये था। उनके संघर्ष और नेतृत्व में हमें एक ऐसे भारत की परिकल्पना मिलती है, जिसमें जाति विहीन और वर्गविहीन समाज हो, समान मानवाधिकार हों, आर्थिक समानता हो, और श्रमिक वर्ग के हाथों में इस भारत का नेतृत्व हो।•

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–
सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9
मो. 9810278936,
फोन : 011-27421449

'मित्रों' और 'नेताओं' से देश और दलित वर्ग की रक्षा करे।''

14 अक्टूबर 1931 के अंक में ही 'बनारस में डा. अम्बेडकर का भण्डाफोड़' शीर्षक से समाचार भी प्रमुखता से छापा गया, जिसमें यह कहा कि संयुक्त प्रान्तों की विधान परिषद के चौधरी जगन्नाथ और चौधरी भरोसे ने अछूतों की ओर से गांधी और मालवीय को तार भेजकर सूचित किया है कि बनारस के अछूतों का अम्बेडकर के प्रतिनिधित्व में विश्वास नहीं है।

इसी अखबार ने 16 अक्टूबर 1931 के अंक में यह समाचार छापा कि अहमदाबाद के दलितों ने एक सभा करके यह प्रस्ताव पारित किया है कि वे डा. अम्बेडकर को अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार करते हैं और महात्मा गांधी में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हैं।

'फ्री प्रेस जर्नल' ने भी डा. अम्बेडकर के विरुद्ध पत्र छापे। एक पत्र उसके 17 अक्टूबर 1931 के अंक में किसी दलित पाठक एस.वी. जयकर का छापा है। इस पत्र की भाषा अत्यंत कटु और नकारात्मक है। शुरू की पंक्तियां ये हैं—''साइमन कमीशन के आने से पूर्व डा. अम्बेडकर बिल्कुल नगण्य व्यक्ति थे, इतने कि विधि कॉलेज के विद्यार्थियों की आत्मा को भी मालूम नहीं था कि बम्बई में प्रचार के साधन बने हुए थे। लेकिन, यह प्रचार तब किया जा रहा था, जब डा. अम्बेडकर लन्दन में थे और वहां गोलमेज सम्मेलन में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि डा. अम्बेडकर इस दुष्प्रचार से अनभिज्ञ थे। लन्दन में रहकर भी उन्हें इस दुष्प्रचार की सारी जानकारी थी। परन्तु वह उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने पूरी गम्भीरता से दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी, सिर्फ लड़ी ही नहीं, बल्कि उसको जीता भी।

26 अगस्त 1946 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार ''डा. अम्बेडकर' से कम्पलेंट—शेडयूल्ड कास्ट लेट डाउन' से मालूम होता है कि शिमला सम्मेलन में, वायसराय इस बात से सहमत हो गये थे कि कार्यकारिणी परिषद में दलित वर्गों के कम से कम दो सदस्य संघ की बैठक में तीन सदस्यों की मांग की थी। संघ के अध्यक्ष राम बहादुर एन. शिवराज थे, जिन्होंने नव निर्मित अन्तरिम सरकार में दलितों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर असन्तोष व्यक्त किया था। लेकिन, कांग्रेसी नेता जगजीवन राम सरकार में शामिल होने के लिये इतने उतावले थे कि उन्होंने प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर नाम से एक ग्रंथ लिखा, बल्कि यह भी पूरे राष्ट्र को बताया कि देश की स्वतंत्रता से उनका मतलब क्या है?

अपने इस ग्रंथ में डा. अम्बेडकर ने इस प्रचार का खण्डन किया कि कांग्रेस भारत के बहुसंख्यकों की पार्टी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 26 नवम्बर 1944 के अंक में 'डा. अम्बेडकर' इस बुक' शीर्षक से लिखा था—''प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा करें, तो कांग्रेस के पक्ष में पड़ने वाले कुछ मतों की संख्या और अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त सीटों की संख्या यह साबित नहीं करते कि कांग्रेस सचमुच इस देश की बहुमत की पार्टी है। ये आंकड़े डा. अम्बेडकर के इस दावे का भी समर्थन करते हैं कि 1935 के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिये आवंटित सीटों पर भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका।''

आजादी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा था (टाइम्स आफ इंडिया, 22 सितम्बर 1944) कि दलित वर्ग भारत की स्वतंत्रता के लिये अपने प्रयास में किसी भी अन्य समुदाय से पीछे नहीं है। परन्तु, वे देश की स्वाधीनता के साथ—साथ अपने समुदाय की स्वाधीनता भी चाहते हैं। उन्होंने मद्रास की एक सभा में,

मनु की हवेली

मनु ने कहा—
<u>ब्राह्मण</u>
भगवान ब्रह्मा के मुख से
पैदा हुए हैं
इसलिए उनका अधिकार है,
मेरी हवेली की सबसे ऊंची
चौथी मंजिल में रहने का।
<u>क्षत्री</u>
भगवान ब्रह्मा के कन्धों से
पैदा हुए हैं
इसलिए उनका अधिकार है,
मेरी हेवली की
पहली से कम
तीसरी मंजिल में रहने का।
<u>वैश्य</u>
भगवान ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं
इसलिए उनका अधिकार है
मेरी हवेली की
पहले दोनों मंजिल से नीचे की
दूसरी मंजिल में रहने का।
और <u>शूद्र—दलित—अछूत</u>
भगवान ब्रह्मा के पांवों से
पैदा हुए हैं
इसलिए
उन्हें सबसे नीचे की
पहली मंजिल में रहना होगा
ताकि वे
ऊपर के तीनों वर्णों की
सेवा कर सकें।
पर ध्यान रहे
मेरी हवेली की
जिस मंजिल में
जो पैदा हुआ है
वह
वहीं रहेगा
वहीं सड़ेगा
और वहीं मरेगा।
इनमें से किसी को भी
अधिकार नहीं है
अपनी मंजिल बदलने का
नीचे से ऊपर जाने का
ऊपर से नीचे आने का।
इनमें से जिसने भी
भंग की मर्यादा
वह **'भंगी'** बनेगा
या फिर
'शम्बूक' की तरह,
उसका सर
कलम करा दिया जायेगा
एक ही झटके में
किसी भी पुरुषोत्तम राम से
या
'एकलव्य' की तरह
उसका बलपूर्वक
कटवा लिया जायेगा
'अंगूठा'
किसी भी झूठे
गुरु द्रोणाचार्य से। •

— डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

हिमायती
4 / फरवरी (द्वितीय), 2020 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 फरवरी, 2020

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 14 फरवरी, 2020

पृष्ठ 1 का शेष...दलित मुक्ति के लिए गुरू रविदास जी का अमर सन्देश

समर्पित कर सच्ची पूजा कर सकते हैं–

जब हम होते तब तू नाही,
अब तूही मैं नाही।
जऊ हम बांधे मोह पास,
हम प्रेम बधनि तुम बांधे।।
अपने छुटन को जतनु करहु,
हम छुटे तुम आराधे।।

गुरु रविदास जी ने कट्टरपंथी पंडित–पांडे और मुल्ला मौलवियों पर भी सीधा प्रहार करते हुए कहा–

मंदिर से कोई घिन नहीं,
मस्जिद सो ना प्यार।
दोनों में राम–रहिम नहीं,
कह रविदास चमार।।

गुरु जी ने धर्मांतरण पर सीधी चोट करते हुए कहा–

हरि सा हीरा छांडिके,
करे अन की आस।
ते नर दोजख जायेंगे,
सत भाखै रविदास।।

गुरु जी का कहना था कि बड़े पुण्य कर्मों के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। इसे व्यर्थ में विकारों में फंसाकर व्यर्थ गंवाने की जगह प्रभु स्मरण में लगाना को नकार कर मानव समता का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी भक्ति में रमी महारानी मीराबाई तो खुले रूप से गाती फिरती थीं–

मीरा ने गाविंद मिल्या जी,
गुरु मिल्या रैदास।।
रैदास संत मिले मोहिं सत्गुरु,
दीन्ही सुरत सहदानी।
मेरो मन लागो गुरु सों,
अब न रहूंगी अटकी।
गुरु मिलिया रैदास जी
दीन्ही ज्ञान की गुटकी।।

इसलिए आचार्य रजनीश अपनी पुस्तक **'तुम्हीं पूजा, तुम्हीं धूप'** में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक महारानी के मन में बसता हो, वह कोई छोटा– मोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विलक्षण महान व्यक्ति था, रैदास भारत के आकाश के ध्रुवतारा थे।

गुरु रविदास जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति व भक्ति की सुगन्धि विश्व में छोड़ते हुए 151 वर्ष की लम्बी आयु में सवंत 1584 में चित्तौड़गढ़ में ब्रह्मलीन हुए, जहां महारानी मीराबाई के निमंत्रण पर **दीप मलीन।**

गुरु रविदास जी ने सच्चे लोकतांत्रिक राज्य की इन शब्दों में अपनी इच्छा की प्रगट की–

ऐसा चाहुं राज मैं,
जहां मिलै सभन को अन्न।
छोट बडे सब सम बसैं,
रविदास रहें प्रसन्न।।

गुरु जी ने 'स्वराज' को सर्वोत्तम बताते हुए कहा–

रविदास मानुष बसन कूं सुखकर हैं दुई ठांव।
एक है 'स्वराज्य' में, दूजा मरघट गांव।।

गुरु रविदास जी ने सच्चे समतावादी, मानवतावादी और सम्पन्नता व सुख शान्ति से भरपूर बेगमपुरा राष्ट्र की कल्पना अपनी प्रसिद्ध साखी बेगमपुरा शहर में की थी–

'बेगमपुरा शहर को नाऊ।
दुखु अंदोहु नहीं तिहि ठाउ।।
ना तसवीस खिराजु न मालु।
खउफु न खता न तरसु जमालु।।

इस बेगमपुरा शहर में न दुःख है, न चिंता, न कोई गम। यहां किसी को कोई डर–भय नहीं, क्योंकि यहां कोई किसी के आधीन नही। यहां सदैव सुख और कल्याण है। यहां न तो किसी प्रकार का माल खरीदना पड़ता और न ही कोई टैक्स देना पड़ता है, यहां न कोई घाटा हो जाने का डर है। यह सुन्दर शहर एक बादशाहत के आधीन सदैव आबाद रहता है और जलवायु के लिहाज से सर्वोत्तम है, यहां कहीं भी आने–जाने की कोई रूकावट नहीं है जो जहां चाहे सैर करता फिरता है। सब लोग यहां रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या से दूर भाईचारा व बराबरी के लिहाज से समान स्तर पर आनन्द के साथ रहते हैं।

गुरु रविदास जी के बेगमपुरा राष्ट्र की कल्पना को बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में समाजवादी, समतावादी–समता, स्वतंत्रता, भाईचारा पर आधारित सबको शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय, धर्म व आस्था में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार देकर पूरा किया है।

भारतीय संविधान गुरु रविदास जी के सपनों का दस्तावेज है जो देश के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार प्रदान करता है। गुरु जी की इस बेगमपुरा साखी के साथ उनके 40 पद महान पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दिये गये हैं जो उनकी महानता और महत्ता को दर्शाती है।

ऐसे महान बेगमपुरा राष्ट्र की कल्पना करने वाले, सर्वप्रथम 'स्वराज्य' की प्रेरणा देने वाले और अपनी आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति से मन में ही सच्चे परमात्मा का मन्दिर स्थापित करने वाले गुरुओं के भी गुरु जगतगुरू श्री रविदास महाराज की 643 वीं जयन्ती पर हार्दिक बधाई। •

– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

संत शिरोमणि गुरू रविदासजी की 643वीं जयन्ती (9 फरवरी 2020) पर 'हिमायती' परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं

चाहिए—

दुलभ जनमु पुनः फल पाइओ,
बिरथा जात अविवेकै।
राजे इन्द्र समसरि ग्रिह आसन,
बिनु हरि भगति कहहु किह लेखै।।

गुरु रविदास जी ने अपनी सच्ची अटूट, विलक्षण भक्ति से ब्राह्मणों के गढ़ काशी (वाराणसी) में उन पंडों— पुजारियों को परास्त किया जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक भक्ति को ललकारा था। गुरु जी से परास्त होकर उन ब्राह्मणों को शर्त के अनुसार गुरु रविदास जी को डोली में बैठाकर अपने कंधों पर उठाकर सारी काशी नगरी में घुमाना पड़ा।

गुरु रविदास जी की भक्ति भाव से प्रभावित होकर कितने ही राजा— महाराजा और महारानियां उनकी शिष्य/शिष्या बन गये। इनमें चित्तौड़ की महारानी झालीबाई और उसकी पुत्र वधु महारानी मीराबाई प्रमुख हैं। गुरुजी ने इस तरह अपनी आत्मशक्ति और सच्ची भगवान भक्ति के आधार पर झोंपड़ियों की पगडंडियों को राजमहलों से जोड़ा। भगवान बुद्ध के बाद यह दूसरी सामाजिक क्रांति थी जिसने मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था वे वहां गये थे। उनकी स्मृति में वहां स्थापित छतरी उनके चरणों की छाप के साथ विराजमान है।

गुरु जी चहुंमुखी विद्या के धनी थे, उन्होंने अपने लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाते हुए कहा —

पराधीनता पाप है
जानु लेहू मेरे मीत।
रविदास दास पराधीन से,
कौन करे है प्रीत।।
पराधीन का दीन क्या,
पराधीन बेदीन।
रविदास दास पराधीन को,
सभी ही समझे हीन।।

गुरु जी ने कहा कि हमें मधुमक्खिओं की तरह मिलकर रहना चाहिए और अपने साथ हो रहे अन्याय व शोषण का विरोध करते हुए अपने मानवीय एकता के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा—

सत संगति मिली रहिये माधव,
जैसे मधुम मखीरा।

उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना विवेक रूपी दीया मलीन हो जाता है, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है—

माधो अबदिया हितकीन विवेक

लघु कहानी

प्रतीक्षा

• डॉ. पूरन सिंह

एक तरफ वर पक्ष के लोग खड़े थे तो दूसरी तरफ कन्या पक्ष के लोग श्वेत वस्त्रों में बैठे हुए थे और इन दोनों पक्षों के मध्य भंते जी सुशोभित थे। बीच में विवाह सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक सामग्री आदि रखी हुई थी। कन्या को फूलों से सजाया गया था। उसके शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। फूलों से लदी हुई कन्या को देखकर वन कन्याओं की याद आ गई थी। अतुलनीय सुन्दरता निहारे ही बनती थी। ठीक इसी प्रकार वर भी स्वच्छ सुन्दर धवल वस्त्रों में राजकुमार लग रहा था मानो उस वन कन्या को ब्याहकर अभी घोड़े पर उड़ा कर ले जाएगा। मैं बहुत खुश था और निश्चय कर रहा था कि अपने बच्चों का विवाह बौद्ध रीति से ही करूंगा।

सभी लोग भंते जी के चारों ओर बैठे थे हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे फिर भी शांति में कई बार खलल पड़ ही जाता था।

मैं संयोग से भंते जी के ठीक सामने बैठा था जहां से पूरा कार्यक्रम मेरे आंखों के सामने चल रहा था।

बुद्धम शरणम गच्छामि...
धम्म शरणम गच्छामि...
संघम् शरणम गच्छामि...

द्वितीय और फिर तृतीय और फिर... और फिर...

अचानक मेरा ध्यान भंते जी से हट गया था और कन्या के पिता के हाथों की अंगुलियों में अटक गया था। उनकी एक हाथ की चारों अंगुलियों में रत्नजड़ित अंगुठियां शोभायमान थीं जिनमें रतनों के साथ—साथ एक अंगुली में मां वैष्णो देवी दूसरी में साईबाबा तथा तीसरी में महादेव भगवान शंकर की और चौथी में अमेरीकन डायमंड की अंगूठियों की चकाचौंध से मेरी आंखें चौंधियाने लगी थीं।

कन्या का भाई मेरे पास ही बैठा था। मैं उसकी ओर आंखों ही आंखों में इशारे से उसके पिता की अंगुलियों में पहनी हुई अंगूठियों का राज जानना चाहता था तो उसने मेरी ओर आंखों ही आंखों में इशारा किया था मानो कहना चाह रहा हो, मूर्ख चुप नहीं बैठ सकते हर जगह अपना तीसरा नेत्र खोलते रहते हो।

मैं चुप बैठ गया लेकिन मस्तिष्क में ज्वालामुखी फटना चाह रहा था।

विवाह सम्पन्न हुआ तो मैं अपने मित्र के साथ उलझ गया था, ''यार तेरे पापा भगवान तथागत के भक्त हैं तो फिर ये अंगूठियों वाली एपीसोड....।''

''यार तू बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के बारे में कितना जानता है।'' मेरा मित्र तलवार लिए मेरे सामने खड़ा था।

''तो सुन, तथागत का समता शांति, क्षमा और शील.... का दर्शन पूरी दुनिया में श्रद्धा से स्वीकारा गया है। मेरे पापा सभी देवी—देवताओं और धर्मों को समान मानते हैं इसीलिए वे चारों हाथों में...'' उसका तर्क सीना ताने खड़ा था।

''अच्छा'', मैं ठगा सा खड़ा था।

''और हां सुन मेरे पापा हर साल मां वैष्णो के दर्शन करने वैष्णो देवी और साई बाबा के दर्शन करने के लिए. ..।'' अब वह और शेर हो गया था।

''जाते हैं...यार एक बात बता क्या तेरे पापा... बोधगया, सारनाथ, संकिसा भी जाते हैं....मैं बोला था।

अब वह मुंह फाड़े खड़ा था और मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा आज तक किए जा रहा हूं। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009